

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2014/फाल्गुन 27, 1935
No. 45]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2014/PHALGUNA 27, 1935

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

आ.अ. 57(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ.प्र.—लो.स./2014, दिनांक 19 फरवरी, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर मद संख्या 67—बांसगांव (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामने, “मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं.—434/उ.प्र.—लो.स./2014]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2014

O.N. 57(E).— In exercise of powers conferred by Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby, makes the following amendment in its Notification No. 434/UP-HP/2014, dated 19th February, 2014, relating to appointment of Returning Officers of Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh namely;

In column 2 of the table appended to the said notification against item No. 67-Bansgaon (SC) Parliamentary Constituency, for the existing entry, the entry, “Chief Development Officer, Gorakhpur” shall be substituted.

[No. 434/UP-HP/2014]

By Order,

R.K. SRIVASTAVA, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

आ.अ. 58(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ.प्र.—लो.स./2014(1), दिनांक 19 फरवरी, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है;

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:—

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1.	2.
12—गाजियाबाद	1—उप जिलाधिकारी, लोनी 2—अपर उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद
41—इटावा (अ.जा.)	1—उप जिलाधिकारी, अजीतमल
76—चंदौली	2—उप जिलाधिकारी, सदर, वाराणसी
77—वाराणसी	1—उप जिलाधिकारी, राजातालाब

[सं. 434/उ.प्र.—लो.स./2014(1)]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2014

O.N. 58 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby, makes the following amendments in its Notification No. 434/UP-HP/2014(1), dated 19th February, 2014, relating to appointment of Assistant Returning Officers of Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh namely;

In column (2) of the Table appended to the said Notification, the existing entries against the Parliamentary Constituencies mentioned below shall be substituted with the following entries :—

TABLE

S.No. & Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officers
1.	2.
12-Ghaziabad	1-Sub Divisional Officer, Loni 2-Addl. Sub Divisional Officer, Ghaziabad
41-Etawah (SC)	1-Sub Divisional Officer, Ajeetmal
76-Chandauli	2-Sub Divisional Officer Sadar, Varanasi
77-Varanasi	1-Sub Divisional Officer, Rajatalab

[No. 434/UP-HP/2014(1)]

By Order,

R.K. SRIVASTAVA, Principal Secy.